INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 21.09.2004 को श्री रामेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्दल सिंह, श्री संजय कुमार, श्री राजीव कुमार, श्री विनय कुमार पुत्रगण श्री रामेन्द्र सिंह निवासी 43 गान्धी नगर गुरसहायगंज जिला–कन्नौज द्वारा निस्पादित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम – श्री इन्दल सिंह एजूकेषनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता – 43, गान्धी नगर गुरसहायगंज जिला–कन्नौज (उ0 प्र0)
   शाखा कार्यालय – ट्रस्ट की षाखायें देष के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती है।
3. ट्रस्ट में लगाया गया धन – ट्रस्ट में लगाया धन 2100/– (दो हजार एक सौ रूपये) नगद
   धनराशि रामेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्दल सिंह 43 गान्धी नगर गुरसहायगंज जिला–कन्नौज द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है।

"भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के स्वीकार करेगा।"

4. ट्रस्ट के तत्व – मुख्या ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है–

   ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा।

   इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

रामेन्द्र सिंह संजय कुमार राजीव कुमार विनय कुमार

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे

1. रामेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्दल सिंह — मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता।
   43, गान्धी नगर गुरसहायगंज
   जिला–कन्नौज (उ0 प्र0)
2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामेन्द्र सिंह — ट्रस्टी
   43, गान्धी नगर गुरसहायगंज
   जिला–कन्नौज (उ0 प्र0)
3. श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रामेन्द्र सिंह — ट्रस्टी
   43, गान्धी नगर गुरसहायगंज
   जिला–कन्नौज (उ0 प्र0)
4. श्री विनय कुमार पुत्र श्री रामेन्द्र सिंह — ट्रस्टी
   43, गान्धी नगर गुरसहायगंज
   जिला–कन्नौज (उ0 प्र0)

ट्रस्ट के उद्देश्य–

1. युवक–युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना।
2. समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
3. मानव कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना।
4. जनता में शिक्षा के पति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना तथा विद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों/इन्जी0/तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना एवं उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना।
5. समय–समय पर अन्य समाज सेवी जनहितकारी कार्य करना।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थानों से अथवा निजी व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों से अनुदान/दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
7. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग नागरिकों, वृद्धजनों, विधवा अनाथ, महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों कल्याण हेतु केन्दीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

रामेन्द्र सिंह संजय कुमार राजीव कुमार विनय कुमार

6. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

7. ट्रस्ट के धनसम्बन्धी कार्य– ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवंदान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातों में किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में तमा की जायेगी। जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति में खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लिए लेन–देन करनें(बैंक खाता आपरेट)के लिए सचिव या मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर होगें।

8. ट्रस्टियों की नियुक्तिी– ट्रस्ट के ट्रस्टियों के मृत्यु के बाद इनके द्वारा नामित अथवा उनका उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें।ट्रस्ट के सभी सदस्य आजीवन सदस्य होगें।

9. संचालित संस्थानो की प्रबन्ध सामितयों के नामित सदस्य–
ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है की प्रबन्ध समितियो में मुख्य ट्रस्टी को सचिव पद के लिए भेजा जायेगा सचिव ही महाविद्यालय/विद्यालय का प्रबन्धक होगा।अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यों में भेज सकता है।

10. ट्रस्ट प्रमुख– ट्रस्ट के सचिव श्री रामेन्द्र सिंह है वे ही इस पद पर जीवन पर्यन्त रहेगे आगामी सचिव की नियुक्ति सचिव ही करेगा यदि किसी कारण वश वे नामित नही कर पातें है तो उनका उत्तराधिकारी ही मुख्य ट्रस्टीकर्ता नियुक्त होगा।

11. ट्रस्टियों की संख्या– ट्रस्टियों की संख्या को मिलाकर चार होगी जिसमें वर्तमान में निम्न पदाधिकारी व सदस्य रहेगें

1. श्री रामेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्दल सिंह 43,गान्धी नगर,गुरसहायगंज(कन्नौज) सचिव
2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामेन्द्र सिंह 43,गान्धी नगर,गुरसहायगंज(कन्नौज) अध्यक्ष
3. श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रामेन्द्र सिंह 43,गान्धी नगर,गुरसहायगंज(कन्नौज) लेखापरीक्षक
4. श्री विनय कुमार पुत्र श्री रामेन्द्र सिंह 43,गान्धी नगर,गुरसहायगंज(कन्नौज) उपाध्यक्ष

आवश्यकता पड़ने पर मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टभाण द्वारा अन्य ट्रस्टियों की नियुक्ति की जा सकती है।

रामेन्द्र सिंह संजय कुमार राजीव कुमार विनय कुमार

12. ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. अध्यक्षः– ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेगें।

2. सचिवः–

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

2. ट्रस्ट के कार्यक्रमो की रुपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार व प्रसार करना।

3. ट्रस्ट के हित में दान, चंदा प्राप्त करना तथा उसको संस्था कोष में जमा करना।ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।

4. दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व सदस्यों को रसीद देना।ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना।

5. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित शिक्षा संस्थानो/कालेजो व अन्य इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओ की नियुक्ति,निष्कासन,पदोन्नति एवंपदच्युत करना,उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना,वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

6. ट्रस्ट के उपरोक्त कार्यकलापों,गतिविधियों एवं अन्य सम्बन्धित विषयों पर ट्रस्टियों में मतभेद होने की स्थिति में अपना अन्तिम निर्णय देना जिसे चुनौती देने का अधिकार किसी ट्रस्टी सदस्य को नही होगा।

7. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना एवं वादों की पैरवी करना।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों/महाविद्यालय के लिए विशिष्ट सदस्यों की नियुक्ति करना।

9. संस्था के समस्मत आवश्यक दस्तावेजों,ऋण अनुदान पत्रों, चैको,ड्राफ्टों बन्धक विलेखो,बिल–वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

रामेश्वर सिंह संजय कुमार राजीव कुमार विनय कुमार

13. लेखापरिक्षक–

ट्रस्ट मण्डल के सचिव के मार्गदर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखानिरीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्गदर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा, लेखानिरीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय–व्यय का हिसाब – किताब का बराबर लेखा–जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

14. 1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिये प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा जिसके लिए सचिव/मुख्य ट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों / महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रशासन योजनाओं के अनुरूप होंगे।

3. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय में निम्न तीन पदाधिकारी होंगे जिसमें सचिव पद मुख्य ट्रस्टी के पास रहेगा तथा शेष पदाधिकारी का चयन ट्रस्टी सदस्यों में से होगा जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित किया जायेगा। पद निम्नवत रहेंगे।

1. अध्यक्ष – एक
2. सचिव – एक
3. लेखापरीक्षक – एक

उपरोक्त पदाधिकारियों के निम्न अधिकार व कर्तव्य होंगे।

रामेन्द्र सिंह संतोष कुमार राजीव कुमार विनय कुमार

अध्यक्ष– 1. महाविद्यालय प्रत्येक सभा में स्थान पर रहेंगे एवं सभाओं की अध्यक्षता करेंगे।

सचिव– 1. विद्यालय की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

2. विद्यालय के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना।

3. विद्यालय हित में चन्दा प्राप्त करना व उसे संस्था कोष में जमा करना महाविद्यालय की अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखभाल करना, दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रसीद देना।

4. विद्यालय के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण कराना।

5. महाविद्यालय व कालेज में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

6. महाविद्यालय के उपरोक्त कार्य–कलापों गतिविधियों एवं सम्बन्धित विषयों पर सदस्यों में मदभेद होने की स्थिति में अपना अन्तिम निर्णय देना जिसे चुनौती देने का अधिकार किसी सदस्य को न होगा।

7. विद्यालय की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में नयी कार्य–कारिणी समिति का विधिवत् निर्वाचन कराना।

रामेश्वर सिंह संजय कुमार राजीव कुमार विनय कुमार

10 Rs.

8. कालेज की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना एवं वादों की पैरवी करना।

9. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चेकों ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल–वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

लेखा परीक्षक– संस्था के आय व्यय वही पत्रों की समय समय पर जांच करना व उनका निरीक्षण कर सत्र समाप्ति पर आडिट करना/करवाना आडिट रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से सचिव के सम्मुख रखना।

15. ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवसन, मृत्यु या कोई भी नैतिक दोष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थ की वजह से यदि ट्रस्टी मण्डल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 2/3 बहुमत से निर्णय के आधार पर सदस्यता/पद समाप्त हो जाता है तो पद/स्थान रिक्त होने पर ट्रस्ट के सचिव को रिक्त स्थान को भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों परित्यागता महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि के रोग निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालय की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्धार करने, निर्धन कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।

रामेश्वर सिंह संजय कुमार राजीव कुमार विनय कुमार

10 Rs.

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टी राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दवाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशविरा किये लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

Ram Sevak Yadav
Advocate
Collectorate

तहसीर तारीख – 21.09.2004

ड्राफ्टकर्ता–

राधे श्याम संजय कुमार राजीव कुमार विजय कुमार

गवाह– 1. कुलदीप यादव पुत्र श्री सुखराम सिंह यादव मो० इब्राहिमगंज पो० छिबरामऊ जि० कन्नौज

2. Ram Sevak Yadav Advocate Tehsil Collectorate